न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 504/2024

दायर दिनांक 23.07.2024

निर्णय दिनांक 16.08.2024

उनवान

1. बद्री लाल गाडरी पिता काना लाल जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी बिलिया खुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. बंशी लाल पिता काना लाल जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी बिलिया खुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. शंकर लाल पुत्र काना लाल जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी बिलिया खुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र हीरा लाल जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी बिलिया खुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. केशर बाई पत्नी स्व0 हीरा लाल जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी बिलिया खुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. नाराण पुत्र भूरा जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी बिलिया खुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. प्यारचन्द पुत्र हीरा लाल जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी बिलिया खुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. बद्री लाल पुत्र हीरा लाल जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी बिलिया खुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. लादू लाल पुत्र भूरा जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी बिलिया खुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. संतोक बाई पुत्री हीरा लाल जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी बिलिया खुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. हर लाल पुत्र हीरा लाल जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी बिलिया खुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. कन्हैया लाल पुत्र घीसू लाल जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी बिलिया खुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. चन्द्रकला उर्फ कला पुत्री घीसू लाल जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी बिलिया खुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. पूर्णा शंकर पुत्र घीसू लाल जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

12.प्रेम देवी पुत्री प्रभु लाल जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

13.भगवती बाई पुत्री घीसू लाल जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

14.मूलशंकर पुत्र प्रभू लाल जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

15.मोहन लाल पुत्र प्रभु लाल जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

16.लीला पुत्री घीसू लाल जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

17.सम्पत लाल पुत्र घीसू लाल जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

18.सुरेश कुमार पुत्र घीसू लाल जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

19.अन्नु जाट पुत्री जवाहर लाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मंगलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

20.डालचन्द पुत्र जवाहर लाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मंगलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

21.मूली देवी पत्नी जवाहर लाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मंगलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

22.रतनी देवी पुत्री जवाहर लाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मंगलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

23.रामु देवी पुत्री जवाहर लाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मंगलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

24.श्रवणी देवी पुत्री जवाहर लाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मंगलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

25.सोहनी बाई पत्नी जवाहर लाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मंगलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

26.हरिशंकर पुत्र जवाहर लाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मंगलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

27.दिनेश चन्द्र पिता जगदीश चन्द्र जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

28.दीपक पिता जगदीश चन्द्र जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

29.भगवती पत्नी जगदीश चन्द्र जाति महाजन उम्र वयस्कं निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
30.ललित पिता जगदीश चन्द्र जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
31.सत्यनारायण महाजन पिता सोहन लाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
32.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी लादू लाल तेली, कन्हैयालाल तेली
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 31 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिलिया खुर्द प0ह0 हरणीकलां भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073—2076 के खाता संख्या 276 की अभिलिखित आराजियात 12, 13 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3414 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 31 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा बिलिया खुर्द प0ह0 हरणीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 276 की अभिलिखित आराजियात 12, 13 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3414 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा